


न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल म0प्र0

ग्वालियर

दिवाकर ग्रिपाठी(एस)रीवा

क्रमांक 10109114 को

कलानि अप्रैल को १०/५/१४
राजस्व मण्डल म.प्र. खालीगढ़



पिता

रिक्व 3018 - ११५

अजय कुमार द्विवेदी तनय श्री विद्या प्रसाद द्विवेदी उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम दुआरी,
तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

आवेदक / पुनर्विलोकनकर्ता

बनाम

- 1— रमाकान्त पाण्डेय तनय रामनाथ पाण्डेय उम्र 43 वर्ष, निवासी ट्रान्सपोर्ट नगर
पड़ेरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0
- 2— नागेन्द्र प्रताप सिंह तनय श्री सम्पत्त सिंह उम्र 52 वर्ष, निवासी दीनदयाल धमा
कालोनी पड़ेरा रीवा, जिला रीवा म0प्र0

— अनावेदकगण

पुनर्विलोकन हेतु आवेदन पत्र बावत्
निगरानी प्रकरण क्र0-2696 / ॥॥ / 2014 में
पारित आदेश दिनांक 22.08.2014

अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0भू0राजस्व संहिता
1959।

प्रकरण के तथ्य


यह कि अन्य के अतिरिक्त आराजी न0-324/1, 324/2 जिसका मूल
नं0-324 रकवा 1.73 एकड़ स्थित ग्राम दुआरी पटवारी हल्का दुआरी तहसील
हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 में से आवेदक को जरिये बटवारा 0.87 एकड़ यानि 0.
35हेठो आवेदक को हिस्से में प्राप्त हुआ था, व इसी प्रकार अनावेदकगण के पूर्व
भूमिस्वामी विजय कुमार द्विवेदी को 0.86 ए. यानि 0.347 है भूमि प्राप्त हुई थी,
और विजय कुमार द्विवेदी द्वारा ही भूमि अनावेदकगणों को तीन किता में सम्पूर्ण
रकवा बिकी किया जा चुका है, और अनावेदकगण के नाम उक्त तीनों किता
आराजी न0-324/2, 324/3, एवं 324/4 के रूप में दर्ज अभिलेख है, और
अनावेदकगण द्वारा तीनों किता आराजी नम्बर प्लाटिंग करते हुये तमाम लोगों
को सम्पूर्ण रकवा विक्य किया जा चुका है, और आराजी न0-324/2 के रूप
में 0.059हेठो रकवा आज दिनांक को अनावेदक क्र0-01 के नाम जो कि प्लाट
धारियों के लिए रास्ते के रूप में दी गई है अनावेदक क्र0-01 के नाम दर्ज है,
और वर्तमान समय में अनावेदकगण की एक इच्छा भी भूमि खाली नहीं है, केवल

दिवाकर ग्रिपाठी (एस)
रीवा

राजस्व मण्डल, पश्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निम्न. ३७१७-नम्/१५.....जिला ग्वालियर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|---|
| 12-2-16 | <p>प्रदेशीय बोर्ड III को प्राप्त आवेदन खोला लो स्वयं दीजिव। प्रदेशीय आगामी पर तक हो।</p> <p>पर्व 5-4-16 आवास</p> <p>आवेदन अभियोग-लो स्वयं दीजिव। प्रदेशीय आगामी हो।</p> <p>पर्व 5-7-16 आवास</p> | |
| 9/6/16 | <p>प्रकरण अभियोग विवर असेहे अभियोग-दाता अपेक्षी उमेश अवेदन अभियोग निकाय तक देवावेदन न करेगा। अनुप्रयोग दिलान। अवेदन को छोड़ दिया। अवेदन करने द्वारे प्रदेशीय बोर्ड-पर्व में अनियन्त्रित नहीं हो। प्रदेशीय बोर्ड के लिए राजस्व बोर्ड को दिलाया।</p> |  9/6/16 |